

सेवा में,

वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

विषय : शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर-गणेशपुर भाग (एन0एच0-72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रुड़की-छुटमुलपुर-सहारनपुर-यमुनानगर (एन0एच0-73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0 सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-1973/14-1, दिनांक 21.12.2016

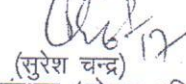
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयक प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनाएँ एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

- 1- प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षों के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश नहीं किया गया है।
- 2- प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के डिजिटल मैप को प्राक्कलन के मध्य में संलग्न किया गया है। चयनित स्थल कई खण्ड में है, अतः प्राक्कलन के मध्य में न संलग्न कर समस्त डिजिटल मैप एक साथ संलग्न करें, ताकि प्रस्ताव परीक्षण में भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो।
- 3- जालौन वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
- 4- सामाजिक वानिकी सहारनपुर में प्रभावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं है। ईको क्लास के अनुसार गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
- 5- वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है तथा प्रमाण-पत्र पर जिलाधिकारी की सील अंकित नहीं है। सील अंकित कराकर मूल प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
- 6- प्रस्तावित स्थल के 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/संचुरी स्थित होने के सम्बन्ध में दोनों प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
- 7- ऑनलाइन पार्ट-2 व 3 पर संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।
- 8- मार्ग चौड़ीकरण का एक लीनियर प्लान जिसमें विद्यमान R.O.W., प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, संलग्न नहीं है।
- 9- मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवशेष वनभूमि की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
- 10- मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित संलग्न नहीं है।
- 11- उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या व विषय सूची को संशोधित करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1419 / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, सहारनपुर के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर।
- 3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, देहरादून

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त सहारनपुर,
पत्रांक 2334/14-1

दिनांक 16-1-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निदेश के साथ जोड़ते ही उक्त निदेश के अनुसार कार्यवाही कर लेनी है।

- 1- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर

दिनांक 17-1-17